न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

गुरमीत कौर बनाम मौहम्मद ईल्यास वगैरह

किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 533 / 2025 (अजमेर)

15/12/25

	श्री कन्हैयालाल **श्री मलिक तालूत 01, 02**	
19.11.2025	गुरमीत कौर बनाम मौहम्मद ईल्यास वगैरह (2025 / 533) यह अपील श्री कन्हैयालाल एडवोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 129 / 2024 में पारित आदेश दिनांक 27.10.2025 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया। प्रार्थना पत्र स्थगन के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 01 एवं 02 की ओर से श्री मलिक तालूत एडवोकेट ने कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। अभिभाषक कैवियटकर्ता को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किये जाकर पत्रावली वास्ते जवाब / बहस प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 28.11.2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	नोटिस RAd. 25/11/25
28.11.25	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष उप.। अभिभाषक रेस्पो. सं. 1,2 को अपील मेमो की प्रति दी गई। अभिभाषक रेस्पो. बहस हेतु समय चाहते हैं, जो दिया जाता है. अभिभाषक रेस्पो. सं. 1,2 ने प्रारम्भिक आपत्ति बाबत उक्त अपील सारहीन एवं पोषणीय नहीं होने के कारण प्रथम स्तर पर ही निरस्त करवाये जाने पेश किया। प्रति अभिभाषक अपीलांट को दी गई। पत्रावली वास्ते जवाब / बहस प्रारम्भिक आपत्ति व बहस स्थगन प्रा.पत्र दिनांक 02/12/25 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	C/R - Malik Taloot -
2/12/25	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष उप.। अभिभाषक अपीलांट बहस हेतु समय चाहते हैं. जो दिया जाता है. आइंदा बहस करें। पत्रावली वास्ते जवाब / बहस प्रारम्भिक आपत्ति व बहस स्थगन प्रा.पत्र दिनांक 15/12/25 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	Post for [illegible] 15/12/25
15/12/25	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उप.। अभिभाषक अपीलांट ने अपील को आगे नहीं चलाकर नोटप्रेस कर खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया। आवेदन पर नोटप्रेस किये जाने हेतु हस्ताक्षर किये। अतः अपील अपीलांट नोटप्रेस किये जाने से खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तकमील होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

RAA

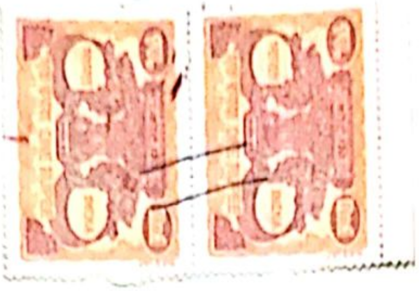

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय अजमेर

अपील टिनेन्सी एक्ट संख्या 533 सन् 2025 जिला अजमेर

2025/533

1. श्रीमति गुरमीत कौर पत्नि स्व0 श्री फैयाद मोहम्मद
2. सोहिब खान पुत्र स्व0 श्री फैयाद मोहम्मद

समस्त जाति व्यापारी मुसलमान निवासी 1016 सिमरन कोटेज, संजय नगर दूध डेयरी के पीछे खानपुरा अजमेर हाल निवासी मन्नत विला मकान नं0 4 लाजरस लेन किश्चियन गंज अजमेर।

...............**प्रार्थी**

बनाम

1. मोहम्मद ईल्यास पुत्र स्व0 श्री घम्मू
2. मोहम्मद मेहबूब पुत्र स्व0 श्री घम्मू

   समस्त जाति व्यापारी मुसलमान निवासी गंगवाना छातडी रोड अजमेर तहसील व जिला अजमेर।
3. यूनियन बैक ऑफ इण्डिया शाखा गगवाना जिला अजमेर जरिये शाखा प्रबन्धक।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, अजमेर।
5. उपपंजीयक महोदय, अजमेर।

..................**रेस्पोडेन्टस**

निगरानी अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश विद्वान सहायक कलक्ट महोदय (मु0) अजमेर दिनांक 27.10.2025 वादपत्र संख्या 129/2024 बउनवानी श्रीमति गुरमीत कौर बनाम मोहम्मद ईल्यास मे पारित किया गया।

533/2025
19.11.25

मान्यवर,

अपीलांट की ओर से निम्न निवेदन है:–

अ– यह कि अपील के सक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण/अपीलांटस ने एक राजस्व वाद बाबत उदघोषणा खातेदारी एंव इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के विरूद्व न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय मु0 अजमेर के समक्ष

Scanned with CamScanner